ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जीवन कुमार	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमती परमजीत मनकोटिया	23.1.16 से 31.3.16

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मनिद्र सिंह	1.4.13 से 22.8.13
2	श्री रूमेल सिंह	23.8.13 से 15.9.14
	श्री तिलक राज	16.9.14 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़ के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	0.54
2	9	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न किया जाना	0.26
3	10	अनुदान का उपयोग न करना	4.53
4	12	मिस्त्री की अदायगी संदेहास्पद बारे	0.07
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	9.53

<u>भाग–दो</u>

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.3.17 से 5.4.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/13, 9/14 व 4/15 तथा 11/13, 2/14 व 8/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265 दिनांक 5.4.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़ के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	200537	1591145	1791682	1750959	40723
2014–15	40723	926781	967504	821914	145590
2015–16	145590	137993	283583	263720	19863

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़ के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	76039.75	1569845	1645884.75	1643244	2640.75
2014–15	2640.75	1248026	1250666.75	950366.75	300300
2015–16	300300	1195883	1496183.00	1042946.00	453237
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)			**₹473100**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	निधि	KCCB भरमाड का खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	20028012879	19863
2	सभा निधि	20039000428	शून्य (NIL)
3	P.S.	50051596816	3262
4	AAY	50051596894	6697
5	14th Fin	50051596500	13546
6	MNREGA	50051596985	429338
7	IAY	50051596588	70
8		20039000417	NIL
9		50051596747	324
10		50051596678	NIL
		जोड़	**₹473100**

अन्तशेष का विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹473100

(ख) दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा राशि ₹473100

5 पंचायत राजस्व ₹0.54 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹53519 की वसूली शेष थी।

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	1320	47500	48820	42140	6680
2014–15	6680	47500	54180	44400	9780
2015–16	9780	53000	62780	60615	2165

(2)भू राजस्व

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	2518	2518	–	2518
2014–15	2518	2518	5036	–	5036
2015–16	5036	2518	7554	–	7554

नोटः– भू–राजस्व के प्रारम्भिक शेष से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया।

दिनांक 31.3.2016 तक दुकानों का किराया शेष

1	श्री सतीश कुमार, सुपुत्र किशन चन्द	14400
2	श्री भवन सिंह, सुपुत्र, हरी सिंह	13800
3	श्री पवन कुमार, सुपुत्र हरी सिंह	12000
4	श्री बिहारी लाल, सुपुत्र अमरतू राम	3600
	कुल	**₹43800**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्वः स्त्रोत जैसे कि गृहकर, भू–राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.26 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**अर्जित ब्याज**
50051596816	2	322	1868	2192
50051596894	1	52	752	805
50051596500	1	402	2008	2411
50051596985	126	2948	15512	18586

50051596588	1	280	349	630
20039000417	—	—	—	—
50051596747	10	243	64	317
50051596678	685	340	4	1029
योग	**826**	**4587**	**20557**	**25970**

10 अनुदान ₹4.53 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹453237 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 नियमों के विरूद्ध दस बैंक खातों का खोला जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार दस बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

12 मिस्त्री मजदूरी की अदायगी ₹0.07 लाख संदेहास्पद बारेः—

ग्राम पंचायत सिद्धपुरघाड़ के अभिलेख अनुसार मनरेगा निधि से वाउचर संख्या 47 दिनांक 7.11.13 के अन्तर्गत श्री सुरिन्द्र सिंह मिस्त्री को 25 दिन दर ₹271 के हिसाब से ₹6775 का भुगतान किया गया यह भुगतान श्री सुभाष सिंह की जमीन के क्रेट वर्क के कार्य का दर्शाया गया था। इसी प्रकार वाउचर संख्या 51 दिनांक 28.11.13 के अन्तर्गत श्री सुरिन्द्र सिंह मिस्त्री को 25 दिन दर ₹271 के हिसाब से ₹6775 का भुगतान श्री कमलजीत की जमीन

में क्रेट वर्क का किया गया था रिकार्ड अनुसार यह दोनों कार्य अक्तूबर 2013 में किए गए थे तथा एक ही मिस्त्री को 50 दिन का भुगतान मनरेगा निधि से किया जाना संदेहास्पद है। भुगतान से सम्बन्धित रसीदों पर अवधि का कोई भी ब्यौरा अंकित नहीं है तथा मिस्त्री की हाजरी का मस्ट्रोल/रिकार्ड आदि भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की सत्यता का पता नहीं लगाया जा सका। अतः बिना मस्ट्रोल के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित दोहरे भुगतान के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.53 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय व अन्य व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹952640 के स्टॉक/स्टोर का क्रय व अन्य व्यय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय व व्यय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹13.70 लाख के कार्य निष्पादन बारेः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित निम्न मामलों की जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹13.70 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्व निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

15 क्रय की गई ₹1.24 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर अभिलेख

में इन्द्राज किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–4** पर ₹123930 की निर्माण सामग्री को क्रय करने उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 106/2017–खण्ड–1–4888–4891 दिनाँक,9.08.17
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

(परिशिष्ट–2)

(पैरा–13 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	24/1.7.13	श्री अशोक कुमार, सुदर्शन सिंह द्वारा गाद (कीचड) आदि की निकासी का भुगतान	25000
2	सभा निधि	28/15.7.13	मै0 रजत ठाकुर द्वारा तालाब की खुदाई	39900
3	सभा निधि	32/6.8.13	श्री जोगिन्दर सिंह द्वारा गाद की निकासी का भुगतान	15000
4	सभा निधि	27/8.7.13	श्री अशोक कुमार व सुदर्शन द्वारा तालाब से गाद की निकासी का भुगतान	60000
5	सभा निधि	39/30.8.13	श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा तालाब से गाद की निकासी	7500
6	सभा निधि	42/10.9.13	मैसर्ज रजत ठाकुर द्वारा तालाब की खुदाई का भुगतान	39900
7	सभा निधि	46/15.10.13	–यथोपरि–	15000
8	सभा निधि	47/17.10.13	श्री रजिन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	10000
9	सभा निधि	49/2.11.13	मै0 शंकर ब्रिक किलन इन्डस्ट्रीज द्वारा इंटों की आपूर्ति का भुगतान	51350
10	सभा निधि	60/9.11.13	श्री रजिन्द्र सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	31000
11	सभा निधि	113/8.1.14	श्री कश्मीर सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	20400
12	सभा निधि	175/25.2.14	मै0 शंकर ब्रिक किलन इन्डस्ट्रीज द्वारा ईंटों की आपूर्ति का भुगतान	31800
13	सभा निधि	192/5.3.14	मै0 लक्ष्मी ब्रिक किलन इन्डस्ट्रीज द्वारा	19500

			ईंटों की आपूर्ति का भुगतान	
14	सभा निधि	35/4.6.14	श्री कश्मीर सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	26400
15	सभा निधि	38/4.6.14	–यथोपरि–	32800
16	सभा निधि	142/21.2.15	श्री कश्मीर सिंह द्वारा क्रैशर की आपूर्ति का भुगतान	89100
17	सभा निधि	143/21.2.15	श्री जोगिन्द्र सिंह द्वारा क्रैशर की आपूर्ति का भुगतान	17600
18	सभा निधि	152/10.3.15	श्री कश्मीर सिंह द्वारा रेत, बजरी, पत्थर आदि की आपूर्ति का भुगतान	17600
19	सभा निधि	114/17.12.15	–यथोपरि–	41600
20	मनरेगा	1/3.6.13	मैसर्ज महाजन हार्डवेयर स्टोर द्वारा आपूर्ति क्रेट वायर का भुगतान	131130
21	मनरेगा	78/5.2.14	श्री कश्मीर सिंह द्वारा बजरी की आपूर्ति का भुगतान	11200
22	मनरेगा	36/13.8.13	मैसर्ज महाजन हार्डवेयर स्टोर द्वारा आपूर्ति क्रेट वायर का भुगतान	49600
23	मनरेगा	46/18.9.13	मैसर्ज महाजन हार्डवेयर स्टोर द्वारा आपूर्ति क्रेट वायर का भुगतान	63860
24	मनरेगा	52 से 54/ 23.12.13	–यथोपरि–	105400
			योग	**₹952640**

(परिशिष्ट–3)

(पैरा–14 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

क्रमांक	**अनुदान का नाम**	**विवरण**	**राशि**
1	सभा निधि (मत्स्य विभाग)	निर्माण तालाब वार्ड–8	420000
2	मनरेगा	निर्माण तालाब जोगिन्द्र सिंह के खेतों के पास	150000
3	मनरेगा	निर्माण रास्ता जीप योग्य रोशन धीन के घर से गांव भाटी तक	150000
4	MPLAD	निर्माण महिला मण्डल सिद्धपुरघाड वार्ड–4	100000
5	मनरेगा	निर्माण बावड़ी वार्ड नं0–1	100000
6	मनरेगा	निर्माण रास्ता सरन सिंह के घर से बेली राम के घर तक	150000
7	मनरेगा	निर्माण क्रेट वर्क ब्रेगेडियर वासु देव की जमीन में	300000
		कुल	**₹1370000**

(परिशिष्ट–4)

(पैरा–15 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत सिद्वपुरघाड़, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डारण भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	23 / 8.6.13	हि0प्र0 सिविल सप्लाई से खरीदा गया सीमेन्ट 30 बैग	6930
2	सभा निधि	48 / 25.10.1	–यथोपरि– 44 बैग	10296
3	सभा निधि	61 / 9.11.13	–यथोपरि– 456 बैग	106704
			योग	₹123930